कृषि विभाग
बिहार सरकार

बिहार बागवानी मिशन की योजनाऐं

"दूसरी हरित क्रांति बिहार से आयेगी।
परन्तु यह जरूरी नहीं की तरीके वही पुराने हों,
जो प्रथम हरित क्रांति के थें"

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

नरेन्द्र सिंह
Narendra Singh

कृषि विभाग
बिहार सरकार

मंत्री
कृषि विभाग,
बिहार सरकार, पटना
Minister
Deptt. of Agriculture
Govt. of Bihar, Patna
Office : 2nd Floor, Vikash Bhawan
Bailey Road, Patna (Bihar)
Ph.: 0612 - 2231212 (O)
Fax : 0612 - 2215526 (O)
Mob.: 94318 21904, 9431818702

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्य बागवानी मिशन द्वारा बागवानी मिशन कार्यक्रम के मैनुअल का प्रकाशन किया जा रहा है। बागवानी विकास योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। इस क्रम में योजनाओं के संबंध में यह संकलन किसानों तथा प्रसार कर्मियों के लिए काफी उपयोगी होगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि बागवानी मिशन कार्यक्रम का यह आलेख लाभार्थियों को अपनी आर्थिक समृद्धि को सुदृढ़ करने में सहायक होगा।

शुभकामनाओं के साथ

12.5.2012

(नरेन्द्र सिंह)

अशोक कुमार सिन्हा
भा.प्र.से.
कृषि उत्पादन आयुक्त

कृषि विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार
कृषि विभाग
विकास भवन, पटना–800015
का. : 0612–2215720
आ. : 0612–2938039
फै. : 0612–2217365
मो. : +91–9431815515

संदेश

वर्ष 2012–13 को बागवानी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यह एक अवसर है कि उद्यान के क्षेत्र में उपलब्धियों के नये प्रतिमान स्थापित किये जायें। बागवानी विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कृषि रोड मैप के तहत बागवानी विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी है।

23 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शेष 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन तथा राष्ट्रीय बाँस मिशन का कार्यान्वयन सभी जिलों में किया जा रहा है। कलस्टर में विकास के लिए प्रत्येक जिला में एक उद्यान फसल को चुना गया है। मुख्यमंत्री तीव्र पौधारोपन विस्तार योजना के माध्यम से गुणवत्ता वाले पौधा रोपन सामग्री का उत्पादन एवं आधे मूल्य पर विस्तार का कार्यक्रम शुरू किया गया है। बगीचा बचाओ अभियान शुरू किया गया है जो अपने तरह का अनोखा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में एक साथ लगभग 1 लाख 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में आम, लीची तथा अमरूद के बगीचों की जुताई के साथ प्रत्येक बगीचे का रिसोर्स मैपिंग किया जायेगा।

बागवानी विकास योजनाओं में गुणवत्ता वाले पौधा रोपन सामग्री का उत्पादन तथा उपयोग, सघन रोपन विधि से नये बगीचों की स्थापना, पुराने बागीचों का जीर्णोद्धार को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। किसानों को प्रशिक्षण तथा परिभ्रमण की योजनायें चलायी जा रही हैं। उत्पादन से लेकर विपणन तथा प्रस्संस्करण के लिए किसानों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

बागवानी विकास योजनाओं का पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। इस संदर्भ में योजनाओं के संबंध में यह आलेख किसानों तथा प्रसार कर्मियों के लिए काफी उपयोगी होगा।

(अशोक कुमार सिन्हा)

डॉ. एन. विजयलक्ष्मी, भा.प्र.से.
सचिव, कृषि–सह–मिशन निदेशक
राज्य बागवानी मिशन
बिहार, पटना

कृषि विभाग
बिहार सरकार

कृषि विभाग
बिहार सरकार
विकास भवन
पटना–800015

प्रस्तावना

राज्य में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 से राज्य बागवानी मिशन का संचालन किया जा रहा है। राज्य बागवानी मिशन के अन्तर्गत सभी बागवानी फसलों को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अतिरिक्त सूक्ष्म सिंचाई मिशन, औषधीय पादप मिशन एवं राष्ट्रीय बाँस मिशन राज्य में कार्यरत हैं। मिशन में सन्निहित सभी कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदान की राशि एवं अनुदान देने का तरीका मार्गदर्शिका में अनुदेशित है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अनुमानित लागत का शत–प्रतिशत अनुदान देय है, जबकि निजी क्षेत्र के लिए 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। अनुदानित राशि में केन्द्रांश 85 प्रतिशत तथा राज्यांश 15 प्रतिशत है। प्रदेश में विभिन्न अवयवों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार अनुदान की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था कर अधिकतम 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया है। इसके फलस्वरुप कृषकों द्वारा विभिन्न अवयवों को काफी दिलचस्पी के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य बागवानी मिशन के द्वारा प्रत्येक जिला के लिए विशेष फसल भी चिन्हित किया गया है। उन फसल/अवयव के लिए अधिकतम 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। उत्पादन के साथ–साथ फसल उपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण इकाई, संरक्षित खेती, रेफर वैन, शीत गृह एवं विपणन की व्यवस्था के लिए भी अनुदान का प्रावधान है।

कृषि विभाग, बिहार सरकार वर्ष 2012–13 को बागवानी वर्ष के रुप में मनाने का संकल्प लिया है तथा इस आलोक में राज्य बागवानी मिशन, बिहार द्वारा बागवानी मिशन के कार्यक्रम संबंधी मैनुअल का प्रकाशन किया जा रहा है। यह प्रकाशन लाभार्थियों तथा सभी सरकारी पदाधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका होगा।

(डॉ. एन. विजयलक्ष्मी)

विषय सूची

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	बिहार राज्य बागवानी मिशन द्वारा संचालित योजनाएँ	01
2	राष्ट्रीय/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अन्तर्गत लागत मानदण्ड एवं सहायता का पैटर्न	02
3	राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत Vegetable Cluster Initiative कार्यक्रम	13
4	राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शुष्क क्षेत्र में बागवानी कार्यक्रम	15
5	जिला बागवानी विशेष कार्यक्रम	16
6	राष्ट्रीय बाँस मिशन	22
7	राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन	27
8	आवेदन प्रपत्र का प्रारूप	28

बिहार राज्य बागवानी मिशन द्वारा संचालित योजनाएँ

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना राज्य में बागवानी विकास को गति देने के उद्देश्य से वर्ष 2005–06 में केन्द्र एवं राज्य की सहायता से शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि जलवायु विशेषताओं के अनुरूप क्षेत्र आधारित भिन्न कार्य नीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र समग्र विकास करना जिसमें तकनीकी संवर्द्धन, विस्तार, कटाई पश्चात् प्रबंधन एवं विपणन शामिल है, द्वारा बागवानी उत्पादन में वृद्धि, पोषण सुरक्षा में सुधार और कृषि परिवारों को आय समर्थन प्रदान करना है।

बागवानी मिशन को कार्यान्वित करने के लिए चयनित जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला बागवानी विकास समिति गठित है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत 23 जिलें चिन्हित हैं जो निम्नलिखित है:

पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णियां, कटिहार, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर, पटना, गया, नालन्दा, जमुई, खगड़िया, औरंगाबाद, बेगूसराय, सहरसा, मधुबनी तथा रोहतास।

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन वित्तीय वर्ष 2006–07 में शत्–प्रतिशत् राज्य योजना से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तर्ज पर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अन्तर्गत कार्यमद यथा अनुदान दर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के समान है। यह मिशन उन जिलों में चलाई जा रही है जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित नहीं है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के परिचालन मार्ग–दर्शिका के तर्ज पर मुख्यमंत्री बागवानी मिशन जिलों में जिला बागवानी विकास समिति गठित है। जिला पदाधिकारी जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष हैं जिनपर योजना के क्रियान्वयन का दायित्व है।

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अन्तर्गत 15 जिलें चिन्हित है जो निम्नांकित हैः–

भोजपुर, बक्सर, कैमूर, नवादा, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लक्खीसराय, सारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मधेपुरा एवं सुपौल।

1 राष्ट्रीय/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अन्तर्गत लागत मानदण्ड एवं सहायता का पैटर्न

क्र०	अवयव	अनुमानित खर्च	सहायतानुदान का तरीका
1.	आदर्श नर्सरी की स्थापना (2–4हे०)	6.25 लाख / हे०	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत अधिकतम 25.00 लाख रूपये प्रति इकाई (4 हे० के लिए) तथा निजी क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 12.50 लाख / इकाई (4हे०) क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान, प्रत्येक नर्सरी को न्यूनतम 50,000 संख्या / हे० / वर्ष पौध सामग्री तैयार करना होगा।
2.	छोटी नर्सरी की स्थापना (1 हे०)	6.25 लाख / हे०	सरकारी क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 3.125 लाख रू० क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान प्रति नर्सरी न्यूनतम 50,000 संख्या पौध सामग्री तैयार करना होगा।
3.	टिशू कल्चर इकाई सुधार	15.00 लाख / इकाई प्रोजेक्ट आधारित	सरकारी क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र के का लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान 50 प्रतिशत
4.	नये टिशू कल्चर इकाई की स्थापना	100.00 लाख	सरकारी क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र के लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान 50 प्रतिशत प्रत्येक टिशू कल्चर इकाई न्यूनतम 15 लाख पौधे व्यवसायिक खेती के लिए तैयार करना होगा।
5.	बीज उत्पादन तथा सब्जी बीज का वितरण	50,000 रू० / हे०	सरकारी क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र के लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान 50 प्रतिशत अधिकतम 5 हे० प्रति लाभार्थी
6.	प्रत्यक्षण ट्रायल के पौध रोपण सामग्री आयात (राज्य सरकार, ग्रोअर एसोसिएशन जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन कृषि मंत्रालय / राज्य वि.वि.)	10.00 लाख रूपये	लागत का 100 प्रतिशत – राज्य सरकार तथा राज्य लिए कृषि वि०वि० ग्रोअर संस्था के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान
7.	बागवानी फसलों के बीज का आधारभूत संरचना (हैन्डलिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा भंडारण)	200.00 लाख	सरकारी क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान 50 प्रतिशत

नये बागों की स्थापना (क्षेत्र विस्तार) फल

(क)	**अधिकतम क्षेत्र 4 हे०/प्रति लाभार्थी**		
(I)	एक वर्षीय फल केला (सकर) 2 x 2 मी. अनानास (0.6x0.3m)	45,000/हे० (केला)	50 प्रतिशत अनुदान (पौध रोपण सामग्री तथा समेकित कीट/रोग प्रबन्धन/समेकित पोषक तत्त्व प्रबन्धन के लिए अधिकतम 22,500 रू० दो किस्तों में (16875 तथा 5625 रू०))
(ii)	केला, टिशूकल्चर (1.8 x 1.8m) अनानास (0.6x0.3m)	83,204/हे० (केला) 65,000/हे० (अना०)	50 प्रतिशत अनुदान (पौध रोपण सामग्री एवं समेकित कीट व्याधि प्रबन्धन के लिए अधिकतम 41602 रू० दो किस्तों में (31202 तथा 10400 रू०))
(iii)	पपीता (1.8 x 1.8m)	54,782/हे०	50 प्रतिशत अनुदान
(ख)	**उच्च घनत्व पौध रोपण (आम, अमरूद, लीची, बेर इत्यादि)**		50 प्रतिशत अनुदान (पौध रोपण सामग्री एवं समेकित कीट व्याधि प्रबन्धन)। यदि बाग में प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष 75 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत पौधे जीवित हों।
	आम (5x5m)	46,000/हे०	अधिकतम 23,000 (तीन किस्तों में 13,800+ 4,600+4,600)
	लीची (4.5x4.5m)	41,516/हे०	अधिकतम 20,758 (तीन किस्तों में 12,455+ 4,152+4,151)
	अमरूद (3x3m)	62,776/हे०	अधिकतम 31,388 (तीन किस्तों में 18,833+ 6,277+6,277)
	आँवला (3x3m)	58,300/हे०	अधिकतम 29,150 (तीन किस्तों में 17,490+ 5,830+5,830)
(ग)	**अन्य फलदार वृक्ष के (क) अतिरिक्त**		
	आम लीची अमरूद आँवला	22,000/हे० 23,500/हे० 21,950/हे० 23,340/हे०	75 प्रतिशत अनुदान (पौध रोपण सामग्री एवं समेकित कीट–व्याधि प्रबन्धन/समेकित पोषक तत्त्व प्रबन्धन के लिए) आम – 16,500 रू० =

			(9,900+3,300+3,300) लीची – 17,625 रू० = (10,575+3,525+3,525) अमरूद – 16,462 रू० = (9,877+3,292+3,293) आँवला – 17,505 रू० = (10,503+3,501+3,501) तीन किस्तों में 60:20:20 के अनुपात में, यदि बाग में द्वितीय वर्ष 75 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत पौधे जीवित हों।
मशरूम			
(a)	समेकित मशरूम इकाई स्पॉन, कम्पोस्ट उत्पादन तथा प्रशिक्षण के लिए	50 लाख रू०	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र के लिए 50 प्रतिशत आधारभूत संरचना निर्माण हेतु क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान
(b)	स्पॉन बनाने के लिए इकाई	15 लाख रू०/इकाई	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र के लिए 50 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान
©	कम्पोस्ट बनाने हेतु इकाई	20 लाख रू०/इकाई	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र के लिए 50 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान
फूल उत्पादन (अधिकतम 2 हे०/लाभार्थी)			
(क)	कटे फूल	70,000 रू०/हे०	50 प्रतिशत अनुदान छोटे एवं सीमांत किसान और 33 प्रतिशत अन्य कृषक अधिकतम छोटे एवं सीमान्त कृषक – 35,000 रू०/हे०, अन्य कृषक – 23,100 रू०/हे०
(ख)	कन्द फूल	90,000 रू०/हे०	50 प्रतिशत अनुदान छोटे एवं सीमांत कृषक और 33 प्रतिशत अन्य कृषक, अधिकतम छोटे एवं सीमांत कृषक – 45,000 रू०/हे०, अन्य

			कृषक – 29,700 रू०/हे०
(ग)	खुले फूल	24,000 रू०/हे०	50 प्रतिशत अनुदान छोटे एवं सीमांत कृषक और 33 प्रतिशत अन्य कृषक के लिए अधिकतम छोटे एवं सीमांत कृषक – 12,000 रू०/हे०, अन्य कृषक – 7,920 रू०/हे०
मशाला (अधिकतम 4 हे०/लाभार्थी)			
(a)	बीज मशाले और कन्द मशाले	25,000 रू०/हे०	50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 12,500 रू०/हे० पौध रोपण सामग्री एवं समेकित कीट–व्याधि प्रबन्धन तथा समेकित पोषक तत्त्व प्रबन्ध इत्यादि के लिए।
सगंधीय पौधे (अधिकतम 4 हे०/लाभार्थी)			
(a)	गेन्दा	25,000 रू०/हे०	50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 12,500 रू०/हे० पौध रोपण सामग्री एवं समेकित कीट–व्याधि प्रबन्धन तथा समेकित पोषक तत्त्व प्रबन्ध इत्यादि के लिए।
(3)	जीर्णोद्धार/रोग ग्रस्त पौधे का प्रतिस्थापन अवाँछित टहनियों की कटाई–छटाई (छत्र प्रबन्धन)	30,000 रू०/हे०	50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 15,000 रू०/हे० अधिकतम 2 हे०/लाभार्थी, वास्तविक खर्च के ब्यौरे के आधार पर
(4)	जल श्रोतो का सृजन		
(क)	सामुदायिक तालाब/ फार्म टैंक/ फार्म जल संग्रहण प्लास्टिक/ आर.सी.सी. लाइनिंग के साथ	15 लाख रू०/इकाई समतल क्षेत्र के लिए 17.25 लाख रू०/ इकाई पहाड़ी क्षेत्र के लिए	100 प्रतिशत जिसकी आच्छादन क्षमता 10 हे० होना चाहिए तालाब का आकार – 100m x 100m x 3m राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा अनुदान सिर्फ प्लास्टिक/आर.सी.सी. लाइनिंग Non NREGS लाभार्थी को तालाब निर्माण तथा लाइनिंग के लिए अनुदान देय होगा।
(ख)	व्यक्तिगत जल संग्रहण व्यवस्था 20मी. x 20मी. x 3मी. आकार का तालाब /डग बेल रू० 100/घन मी० की दर से	1.20 लाख रूपये/इकाई समतल क्षेत्र के लिए 1.38 लाख रूपये/इकाई पहाड़ी क्षेत्र के लिए	50 प्रतिशत अनुदान, छोटे आकार के तालाब/डग बेल की स्थिति में प्रो राटा आधार पर अनुदान देय होगा। रख–रखाव की व्यवस्था लाभार्थी खुद करेंगे।

(5)	**संरक्षित खेती**		
(क)	ग्रीन हाउस निर्माण		
(I)	फैन एवं पैड प्रणाली	1,465रू०/वर्ग मी.	खर्च का 50 प्रतिशत अधिकतम 1,000 वर्ग मी०/लाभार्थी (अधिकतम 4,000m^2)
(ख)	प्राकृतिक हवादार प्रणाली		
(I)	ट्यूवलर ढ़ांचा	935 रू०/वर्ग मी.	खर्च का 50 प्रतिशत अधिकतम 1,000 वर्ग मी०/लाभार्थी
(ii)	लकड़ी ढ़ांचा	515 रू०/वर्ग मी.	खर्च का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 वर्ग मी./लाभार्थी
(iii)	बाँस ढ़ांचा	375 रू०/वर्ग मी.	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 इकाई (प्रति इकाई 200 वर्ग मी. प्रति लाभार्थी)
(ग)	प्लास्टिक मल्चिंग	2,000 रू०/हे०	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 2 हे०/लाभार्थी
(घ)	शेडनेट		
(I)	ट्यूवलर ढ़ांचा	600 रू०/वर्ग मी.	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1000 वर्ग मी./ लाभार्थी (अधिकतम 4,000m^2)
(ii)	लकड़ी ढ़ांचा	410 रू०/वर्ग मी.	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 इकाई (प्रति इकाई 200 वर्ग मी. /लाभार्थी)
(iii)	बाँस ढ़ांचा	300 रू०/वर्ग मी.	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 इकाई (प्रति इकाई 200 वर्ग मी. /लाभार्थी)
(ङ)	प्लास्टिक टनेल	30 रू०/वर्ग मी.	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1,000 वर्ग मी./लाभार्थी
(च)	चिड़ियारोधक/ओला रोधक नेट	20 रू०/वर्ग मी.	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5,000 वर्ग मी./लाभार्थी
(छ)	उच्च गुणवत्ता वाले सब्जियों के पौध रोपण सामग्री को पॉली हाउस में उगाना	105 रू०/वर्ग मी.	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 वर्ग मी./लभार्थी
(ज)	उच्च गुणवत्ता वाले पॉली हाउस में लगाये जाने वाले फूलों की कीमत	500 रू०/वर्ग मी.	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 वर्ग मी./लाभार्थी

(झ)	प्रिसीजन फार्मिंग–विकास एवं प्रसार	परियोजना आधारित	100 प्रतिशत पी.एफ.डी.सी. को
(6)	समेकित पोषक तत्त्व प्रबंधन / समेकित कीट–व्याधि प्रबंधन		
(a)	सैनिटरी और फायटोसैनेटरी संरचना (सार्वजनिक क्षेत्र)	100 लाख रू०	लागत का 100 प्रतिशत
(b)	समेकित कीट–व्याधि प्रबंधन / समेकित पोषक तत्त्व प्रबंधन को बढ़ावा देना	2 हजार रू० / हे०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1000 रू० / हे० (4 हे० / लाभार्थी तक)
(c)	रोग भविष्यवाणी इकाई (सार्वजनिक क्षेत्र)	4 लाख रू० / इकाई	अधिकतम 4 लाख रू० / इकाई
(d)	बायोकन्ट्रोल लैब	80 लाख रू० / इकाई	अधिकतम 80 लाख रू० / इकाई सार्वजनिक क्षेत्र के लिए / अधिकतम 40 लाख रू० / इकाई निजी क्षेत्र के लिए
(e)	प्लान्ट हेल्थ क्लिनिक	20 लाख रू० / इकाई	क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान अधिकतम 20 लाख रू० / इकाई सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, 10 लाख रू० निजी क्षेत्र के लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान
(f)	लीफ / टिसू एनेलायसिस प्रयोगशाला	20 लाख रू० / इकाई	अधिकतम 20 लाख रू० / इकाई सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, 10 लाख रू० / इकाई निजी क्षेत्र के लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान
(7)	जैविक कृषि		
(I)	जैविक कृषि को अपनाना	20 हजार रू० / हे०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रू० / हे० अधिकतम 4 हे० प्रति लाभार्थी। तीन किस्तों में प्रथम वर्ष 4 हजार रू०, द्वितीय वर्ष 3 हजार रू०, तृतीय वर्ष 3 हजार रू०,
यह कार्यक्रम सर्टिफिकेशन (प्रमाणीकरण) से संबंधित है।			
(ii)	जैविक प्रमाणीकरण	परियोजना आधारित स्थायी ढ़ाचा के लिए	5 लाख रू० 50 हे० क्लस्टर के लिए प्रथम वर्ष 1.50 लाख रू०, द्वितीय वर्ष 1.50 लाख रू०, तृतीय वर्ष 2.00 लाख रू०
(iii)	वर्मी कम्पोस्ट इकाई / जैविक आदान उत्पादन इकाई	60 हजार रू० / इकाई स्थायी ढ़ांचा के लिए एवं	लागत का 50 प्रतिशत, आकार – 30'x8'x2.5' (600cft) H.D.P.E.

		H.D.P.E. वर्मी बेड के लिए 10 हजार रू०/	प्रो राटा आधार पर एवं वर्मी बेड के लिए लागत का 50 इकाई प्रतिशत आकार – 12'x4'x2'= 96 cft. प्रो राटा आधार पर
(8)	अच्छे कृषिकरण के लिए प्रमाणन संरचना सहित	10 हजार रू०/हे०	लागत का 50 प्रतिशत
(9)	मधुमक्खी पालन द्वारा परागन में सहयोग		
(a)	न्युक्लियस स्टॉक की स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र)	10.00 लाख रू०/इकाई	लागत का शत प्रतिशत
(b)	मधुमक्खी प्रजनक द्वारा मधुमक्खी की कॉलोनी का उत्पादन	6 लाख रू०/इकाई	लागत का 50% कम से कम साल में 2,000 कॉलोनी का उत्पादन
(C)	मधुमक्खी कॉलोनी	1,400 रू०/ कॉलोनी 4 फ्रेम	लागत का 50% अधिकतम 50 कॉलोनी प्रति लाभार्थी
(d)	मधुमक्खी छत्ता	1,600 रू०/छत्ता	लागत का 50% अधिकतम 50 कॉलोनी/लाभार्थी
(e)	शहद निकालने वाले (4 फ्रेम), फूड ग्रेड कन्टेनर (30 कि०ग्रा०), जाली आदि सहित उपकरण	14,000 रू०/सेट	लागत का 50% प्रति लाभार्थी एक सेट अधिकतम
(10)	**बागवानी मशीनीकरण**		
(a)	शक्ति चालित मशीन/औजार/ शक्ति चालित आरा तथा पौधा संरक्षण औजार आदि	35,000 रू०/सेट	लागत का 50% एक सेट प्रति लाभार्थी
(b)	शक्ति चालित मशीन (20 बी.एच.पी.) रोटावेटर/उपकरण के साथ	1.20 लाख रू०/सेट	लागत का 50% एक सेट प्रति लाभाथी
(C)	शक्ति चालित मशीन (20 एच.पी.) एवं अधिक शक्ति का ऐसेसरीज/उपकरण के साथ	3.00 लाख रू०	लागत का 50% एक सेट प्रति लाभार्थी
(d)	प्रदर्शन प्रयोजन हेतु बागवानी के लिए नई मशीनों तथा उपकरणों का आयात (सार्वजनिक क्षेत्र)	50 लाख रू०	लागत का शत प्रतिशत अनुदान
(11)	प्रत्यक्षण/अंग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण द्वारा तकनीकी का प्रचार–प्रसार	25.00 लाख रू०	लागत का 75% किसान के खेत में एवं 100% सार्वजनिक क्षेत्र एवं रा० कृ० वि० के प्रक्षेत्र में।

(12)	मानव संसाधन विकास		
(a)	मानव संसाधन विकास सुपरवाईजर (पर्यवेक्षक) तथा उद्यमियों के लिए	20.00 लाख रू० / प्रशिक्षण	लागत का शत प्रतिशत प्रथम वर्ष में तथा बाद के वर्षों में मूल–भूत संरचना पर कोई क्लेम नहीं होगा।
(b)	मानव संसाधन विकास बागवानों के लिए	15.00 लाख रू० / प्रशिक्षण	लागत का शत–प्रतिशत 15.00 लाख रू० तक परन्तु बाद के वर्षों के लिए मूल–भूत संरचना पर कोई क्लेम नहीं होगा।
(c)	किसानों का प्रशिक्षण		
(I)	जिले के भीतर	400 रू० / दिन / किसान यातायात छोड़कर	लागत का शत प्रतिशत
(ii)	राज्य के भीतर	750 रू० / दिन / किसान यातायात छोड़कर	लागत का शत प्रतिशत
(iii)	राज्य से बाहर	1,000रू० / दिन / किसान यातायात छोड़कर	लागत का शत प्रतिशत
(d)	किसानों का ज्ञानवर्द्धन यात्रा (एक्सपोजर विजिट)		
(I)	जिले के भीतर	250 रू० / दिन / किसान	लागत का शत प्रतिशत
(ii)	राज्य के भीतर	300 / दिन / किसान यातायात छोड़कर	लागत का शत प्रतिशत
(iii)	राज्य से बाहर	600 रू० / दिन / किसान यातायात छोड़कर	लागत का शत प्रतिशत
(iv)	भारत से बाहर	3.00 लाख रू० / सहभागी	परियोजना आधारित, 100% आकाश मार्ग / रोड मार्ग
(e)	तकनीकी कर्मियों / क्षेत्र कार्यकर्त्ता का प्रशिक्षण / अध्ययन दौरा		
(I)	राज्य के भीतर	200 रू. / दिन / सहभागी तथा T.A. /D.A. जो भी लागू हो	लागत का 100 प्रतिशत
(ii)	राज्य के बाहर	650 रू० / दिन / सहभागी तथा T.A. /D.A. जो भी लागू हो	लागत का 100 प्रतिशत
(iii)	भारत के बाहर	5.00 लाख रू० / सहभागी	लागत का 100 प्रतिशत

(f)	समेकित विदोहन उपरान्त प्रबन्धन		
1.	पैक हाउस/फार्म पर एकत्रीकरण तथा भण्डारण यूनिट	3.00 लाख रू०/इकाई जिसका आकार 9मी. x 6मी.	लागत का 50 प्रतिशत
2.	प्री–कूलिंग यूनिट	6 मेट्रिक टन क्षमता हेतु 15.00 लाख रू०	लागत का 40% अनुदान क्रेडिट लिंक्ड बैक इन्डेड सामान्य क्षेत्र में तथा 55% अनुदान पहाड़ी अनुसूचित क्षेत्र में।
3.	मोबाईल प्री–कूलिंग यूनिट	5 मेट्रिक टन क्षमता हेतु प्रति यूनिट 24.00 लाख रू०/इकाई	तथैव
4.	शीत गृह इकाई (स्थापना/प्रसार/आधुनिकीकरण)	5,000 मे० टन क्षमता हेतु प्रति मे० टन 6,000 रू०	क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान 40% मूल खर्च का सामान्य क्षेत्र के लिए पहाड़ी/अनुसूचित क्षेत्र के लिए 55% अनुदान जो कि नए तकनीक का समावेश करेंगे तथा इंसुलेशन, आर्द्रता नियंत्रण, सूक्ष्म कोयल शीतली करण प्रणाली एवं कई चैम्बर के होंगे तथा विभाग द्वारा तकनीकी के आधार पर बने होंगे
5.	सी०ए०/एम०ए० भण्डारण इकाई	रू० 32,000/मे० टन की दर से 5,000 मे० टन क्षमता का	तथैव
6.	रेफर भान/कन्टेनर	6 मे०टन क्षमता हेतु प्रति यूनिट 24.00 लाख रू०	तथैव
7.	प्राथमिक/मोबाईल/न्यूनतम प्रसंस्करण इकाई	24.00 लाख रू०/इकाई	तथैव
8.	पकाने वाला घर	6,000 रू० प्रति मे० टन 5,000 मे० टन क्षमता का	तथैव
9.	ईवैपोरेटिव/कम ऊर्जा वाला शीत चैम्बर (8 एमटी)	4.00 लाख रू०/इकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत
10.	संरक्षण इकाई (निम्न लागत)	2.00 लाख रू०/नई इकाई एवं 1.00 लाख रू० /उच्च स्तरीकरण हेतु	तथैव

11.	कम लागत वाला प्याज भंडारण ढांचा (25मे.टन)	1.00 लाख / इकाई	तथैव
12.	पूसा जीरो एनर्जी कूल चेम्बर	4,000 रू० / इकाई	तथैव
(g)	बागवानी उत्पाद हेतु विपणन आधारभूत ढ़ांचे की स्थापना		
1.	टर्मिनल बाजार	150.00 करोड़ रूपये / परियोजना	25% से 40% (अधिकतम 50 करोड़ रू०) पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर प्रतियोगिता बोली के आधार पर जैसा दिशा–निर्देश दिया जायेगा।
2.	थोक बिक्री बाजार	100.00 करोड़ रूपये / इकाई	सामान्य क्षेत्र में 25% तथा 33.33% पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्र में क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान निजी, व्यक्तिगत व्यवसायियों के लिए
3.	ग्रामीण बाजार / अपनी मन्डी / प्रत्यक्ष बाजार	20.00 लाख रू० / इकाई	सामान्य क्षेत्र में मूल खर्च का 40% मूल का तथा पहाड़ी या अनुसूचित क्षेत्र में 55% क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान व्यक्तिगत व्यवसायियों के लिए
4.	खुदरा बाजार / आउटलेट्स (वातावरण नियंत्रित)	10.00 लाख रू० / इकाई	तथैव
5.	स्थायी (स्टैटिक) / मोबाईल वेंडिंग कार्ट / शीत चैम्बर सहित प्लेटफॉर्म	30,000 रू० / इकाई	लागत का 50%
6.	एकत्रीकरण, छंटाई / ग्रेडिंग तथा पैकिंग आदि के लिए कार्यकारी आधारभूत ढ़ांचा	15.00 लाख रू० / इकाई	सामान्य क्षेत्र में मूल खर्च का 40% तथा पहाड़ी या अनुसूचित क्षेत्र में 55% क्रेडिट लिंक्ड बैक इन्डेड अनुदान व्यक्तिगत व्यवसायियों के लिए।
7.	गुणवत्ता नियंत्रण / एनेलासिस प्रयोगशाला	200.00 लाख रू. / इकाई	100% सार्वजनिक क्षेत्र के लिए तथा 50% निजी क्षेत्र के लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान
8.	बाजार विस्तार, गुणवत्ता जागरूकता और नये उत्पादों हेतु बाजार नेतृत्व वाले विस्तार क्रियाकलाप	3.00 लाख रू० प्रति कार्यकलाप	100% सहायता राज्य सरकार / राज्य उद्यान मिशन / सार्वजनिक क्षेत्र एजेन्सीज
(h)	विशेष हस्तक्षेप / अनदेखी आकस्मिक / अप्रत्याशित आवश्कताओं से निपटना	10.00 लाख रू० प्रति परियोजना	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत।

(I) मिशन प्रबन्धन

I. राज्य स्तर

1.	राज्य एवं जिला मिशन के कार्यालय तथा कार्यान्वयन संस्था के प्रशासनिक, अनुश्रवण, परियोजना की तैयारी, कम्प्यूटरीकरण आदि पर आकस्मिक खर्च	राज्य बागवानी मिशन / क्रियान्वयन एजेन्सियों की अवगत आवश्यकता के आधार पर कुल वार्षिक व्यय का 5 प्रतिशत	100 प्रतिशत सहायता
2.	संस्थागत सुदृढ़ीकरण / भाड़े पर गाड़ी लेना / हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर आदि की खरीद।	परियोजना आधारित	100 प्रतिशत सहायता
3.	सेमिनार, कॉन्फ्रेन्स, कर्मशाला, सामान्य प्रदर्शनी, किसान मेला, उद्यान प्रदर्शनी, शहद महोत्सव आदि।		
(a)	राज्य स्तरीय	3.00 लाख रू० / कार्यकलाप	100% सहायता अधिकतम 3.00 लाख रू० / कार्यालय / दो दिन
(b)	जिला स्तरीय	2.00 लाख रू० / कार्यकलाप	100% सहायता अधिकतम 2.00 लाख रू० / कार्यालय / दो दिन
4.	तकनीकी सहायता समूह विशेषज्ञों / परामर्श दाताओं को लेने, अध्ययन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, मास मीडिया, प्रचार–प्रसार, विडियो कॉन्फ्रेन्स आदि	परियोजना आधारित अधिकतम 500.00 लाख रू० / वर्ष / राज्य	लागत का 100 प्रतिशत खर्च का

II राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत Vegetable Cluster Initiative कार्यक्रम

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गहन बागवानी विकास कार्यक्रम तथा शहरी क्षेत्रों सब्जी विकास की विशेष उप योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। सब्जी विकास की विशेष उपयोजना पटना, नालंदा तथा वैशाली जिलों में कार्यान्वित की जायेगी।

क्र०	अवयव	अनुमानित खर्च	सहायतानुदान का तरीका
1	सब्जी बीज उत्पादन	50000 / हे०	निजी क्षेत्र के लिए क्रेडिट लिंकड बैक इण्डेड अनुदान लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 हे० / लाभार्थी
2	सब्जी उत्पादन पारंपरिक परागण परागण)	30,000 / हे०	लागत व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम (ओपेन ₹22,500 / हे०
3	सब्जी उत्पादन (संकर)	45,000 / हे०	लागत व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹33,750 / हे०
4	प्याज भंडारण 25 मेट्रिक टन क्षमता	1,00,000	लागत व्यय का 90 प्रतिशत, अधिकतम ₹90,000 / इकाई
5	पूसा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर (100 कि.ग्रा. क्षमता)	4000 / इकाई	लागत व्यय का 100 प्रतिशत, ₹4000 / इकाई
6	मोबाईल वातानुकूलित ठेला	52000 / ठेला	लागत व्यय का 100 प्रतिशत, अधिकतम ₹52000 / ठेला
7	संरक्षित खेती		
(क)	ग्रीन हाउस (प्राकृतिक हवादार प्रणाली)		
(i)	ट्यूबलर ढाँचा	935 / वर्ग मी.	लागत व्यय का 90 प्रतिशत, अधिकतम 4000 वर्ग मी. / लाभार्थी
(ii)	बाँस ढाँचा	375 / वर्ग मी.	लागत व्यय का 90 प्रतिशत, अधिकतम 4000 वर्ग मी. / लाभार्थी
(ख)	शेडनेट		
(i)	ट्यूबलर ढाँचा	600 / वर्ग मी.	लागत व्यय का 90 प्रतिशत, अधिकतम 4000 वर्ग मी. / लाभार्थी
(ii)	बाँस ढाँचा	300 / वर्ग मी.	लागत व्यय का 90 प्रतिशत, अधिकतम 4000 वर्ग मी. / लाभार्थी
(ग)	उच्च गुणवत्ता वाले सब्जियों के पौध रोपण सामग्री को पॉली हाउस में उगाना	105 / वर्ग मी.	लागत व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम 500 वर्ग मी. / लाभार्थी

8	समेकित कीट व्याधि प्रबंधन/समेकित पोषक तत्त्व प्रबंधन को बढ़ावा देना	2000/हे०	लागत व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹1000/हे०
9	जैविक खेती		
(i)	एडॉप्शन ऑफ ऑरगेनिक खेती	20000/हे०	लागत व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹10000/हे० अधिकतम 4हे०/लाभार्थी तीन किस्तों में प्रथम वर्ष – ₹4000/हे०, द्वितीय वर्ष – ₹3000/हे० तृतीय वर्ष – ₹3000/हे० यह कार्यक्रम सर्टिफिकेशन (प्रमाणीकरण) से संबंधित है।
(ii)	जैविक प्रमाणीकरण	20000/हे०	₹5 लाख/50 हे० क्लस्टर के लिए प्रथम वर्ष – ₹1.50 लाख, द्वितीय वर्ष – ₹1.50लाख तृतीय वर्ष – ₹2.00 लाख
10	मानव संसाधन विकास	1800	लागत व्यय का शत–प्रतिशत
11	समेकित विदोहन उपरांत प्रबंधन (PHM)		
(I)	पैक हाउस/प्रक्षेत्र पर संग्रह एवं भंडार इकाई	3.00 लाख/इकाई जिसका आकार 9X6मी०	लागत व्यय का 90 प्रतिशत अधिकतम ₹2.70 लाख/इकाई
(ii)	शीत गृह (निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण)	6000/मे० टन 5000मे० टन क्षमता तक	क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान खर्च का 40 प्रतिशत अधिकतम ₹120 लाख/ इकाई, सामान्य क्षेत्र के लिए, पहाड़ी/ अनुसूचित क्षेत्र के लिए 55 प्रतिशत अनुदान जो नये तकनीक का समावेश करेंगे तथा इंसुलेशन, आर्द्रता नियंत्रण, सूक्ष्म कोयल, शीतलीकरण प्रणाली एवं कई चैम्बरों के होंगे तथा विभाग द्वारा तकनीकी के आधार पर बने होंगे।
12	मोटराइज्ड भेंडिंग कार्ट	1.00 लाख	लागत का 90 प्रतिशत अधिकतम ₹90000/कार्ट
13	प्राथमिक/भ्रमणशील/ न्यूनतम प्रोसेसिंग इकाई (फल, सब्जी, औषधीय एवं सगंधीय फसलों के लिए)	15.00 लाख/इकाई	क्रेडिट लिंकड बैक इण्डेड अनुदान 90 प्रतिशत अधिकतम ₹13.50 लाख/इकाई

III राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शुष्क क्षेत्र में बागवानी कार्यक्रम

शुष्क क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बांका, जमुई एवं नवादा जिले में फलदार/औषधीय वृक्षों जो विशेष कर शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हों यथा :— बेल, बेर, जामुन, कटहल, शरीफा, सहजन, आँवला, अर्जुन का सघन रूप से विकास किया जायेगा।

क्र०	अवयव	अनुमानित खर्च	सहायतानुदान का तरीका
1	ड्राई लैंड प्लांटेशन	350/पेड़	लागत का 100 प्रतिशत, प्रथम वर्ष – ₹150, द्वितीय वर्ष – ₹100 तृतीय वर्ष – ₹50, चतुर्थ वर्ष – ₹50 बशर्ते कि अंतिम वर्ष तक पौधे जीवित रहें।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शुष्क क्षेत्र में बागवानी कार्यक्रम

IV जिला बागवानी विशेष कार्यक्रम

राज्य सरकार द्वारा बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 23 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम एवं शेष 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य में बागवानी फसलों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई दर को यथावत रखते हुए कुछ कार्यमदों के अनुदान दरों में वृद्धि की गई है। साथ ही राज्य में त्वरित बागवानी विकास के लिए प्रत्येक जिला के लिए एक प्रमुख बागवानी फसल को चिह्नित किया गया है। इस चिह्नित फसल का सघन विकास संबंधित जिला के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के द्वारा किया जा रहा है।

<u>कार्यक्रम विवरणी</u>

क्र०	जिला	चिन्हित फसल	अवयव	कुल अनुदान दर
1	पूर्वी चम्पारण	लहसुन	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 22500/– रूपये
2	पश्चिमी चम्पारण	हल्दी एवं मेंथा	क्षेत्र विस्तार (हल्दी) क्षेत्र विस्तार (मेंथा)	90 प्रतिशत अधिकतम 22500/– रूपये
3	मुजफ्फरपुर	लीची	जीर्णोद्धार	90 प्रतिशत अधिकतम 27000/– रूपये
			चलन्त प्रशीतीकृत ठेला	90 प्रतिशत अधिकतम 27000/– रूपये
4	वैशाली	केला (टिश्यू कल्चर)	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 74883/– रूपये
5	समस्तीपुर	हल्दी	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 22500/– रूपये
6	दरभंगा	आम	जीर्णोद्धार	90 प्रतिशत अधिकतम 27000/– रूपये
7	पूर्णियाँ	आलू उत्पादन एवं मूल्य संवर्द्धन	आलू बीज उत्पादन प्रति हेक्टेयर	90 प्रतिशत अधिकतम 45000/–रूपये
			प्रसंस्करण इकाई	90 प्रतिशत अधिकतम 1350000/–रूपये प्रति इकाई
			चलन्त प्रशीतीकृत ठेला	90 प्रतिशत अधिकतम 27000/–रूपये प्रति इकाई
8	किशनगंज	अनानास	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 58500/–रूपये प्रति हेक्टेयर
			प्रसंस्करण इकाई	90 प्रतिशत अधिकतम 1350000/–रूपये प्रति इकाई
9	कटिहार	बाँस	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 14400/–रूपये प्रति हेक्टेयर
10	भागलपुर	आम (जरदालू) एवं बागों का जीर्णोद्धार	जीर्णोद्धार (आम बाग)	90 प्रतिशत अधिकतम 27000/– रूपये प्रति हेक्टेयर
			प्रसंस्करण इकाई	90 प्रतिशत अधिकतम 1350000/–रूपये प्रति इकाई

			क्षेत्र विस्तार (जरदालू आम)	90 प्रतिशत अधिकतम 19800/–रूपये प्रति हेक्टेयर
11	बांका	कटहल	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 21006/–रूपये प्रति हेक्टेयर
12	मुंगेर	सगंध पौधे एवं सहजन	क्षेत्र विस्तार (सगंध पौधे)	90 प्रतिशत अधिकतम 22500/–रूपये प्रति हेक्टेयर
			क्षेत्र विस्तार (सहजन)	90 प्रतिशत अधिकतम 21006/–रूपये प्रति हेक्टेयर
13	पटना	फूल एवं पपीता	क्षेत्र विस्तार (खुले फूल)	90 प्रतिशत अधिकतम 21600/–रूपये प्रति हेक्टेयर
			क्षेत्र विस्तार (कटे फूल)	90 प्रतिशत अधिकतम 63000/–रूपये प्रति हेक्टेयर
			क्षेत्र विस्तार (कन्द वाले फूल)	90 प्रतिशत अधिकतम 81000/–रूपये प्रति हेक्टेयर
			प्रसंस्करण इकाई	90 प्रतिशत अधिकतम 1350000/–रूपये प्रति इकाई
			क्षेत्र विस्तार (पपीता)	90 प्रतिशत अधिकतम 63000/–रूपये प्रति हेक्टेयर
14	नालंदा	जैविक सब्जी उत्पादन, पान	जैविक सब्जी उत्पादन	50 प्रतिशत अधिकतम 10000/–रूपये प्रति हेक्टेयर
		एवं मशरूम	क्षेत्र विस्तार (पान)	90 प्रतिशत अधिकतम 27000/–रूपये प्रति 200 वर्गमीटर इकाई
		मशरूम		90 प्रतिशत तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन, अवयव के अनुसार
15	गया	आँवला	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 21006/–रूपये प्रति हेक्टेयर
			चलन्त प्रशीतीकृत ठेला	90 प्रतिशत अधिकतम 27000/–रूपये प्रति इकाई
16	खगड़िया	केला (टिश्यू कलचर)	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 74883/– रूपये प्रति हेक्टेयर
17	जमुई	बेल, आँवला एवं सहजन	क्षेत्र विस्तार (बेल, आँवला एवं सहजन)	90 प्रतिशत अधिकतम 21006/–रूपये प्रति हेक्टेयर
18	औरंगाबाद	आँवला	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 21006/–रूपये प्रति हेक्टेयर
19	रोहतास	टमाटर	टमाटर उत्पादन	90 प्रतिशत अधिकतम 27000/–रूपये प्रति हेक्टेयर

			प्रसंस्करण इकाई	90 प्रतिशत अधिकतम 1350000/–रूपये प्रति इकाई
20	मधुबनी	पान	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 27000/–रूपये प्रति 200 वर्गमीटर इकाई
21	सहरसा	बागों का जीर्णोद्धार	जीर्णोद्धार	90 प्रतिशत अधिकतम 27000/–रूपये प्रति इकाई
22	बेगूसराय	मिर्च	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 22500/–रूपये प्रति हेक्टेयर
			प्रसंस्करण इकाई	90 प्रतिशत अधिकतम 1350000/–रूपये प्रति इकाई
23	कैमूर	जैविक सब्जी उत्पादन एवं आम	जीर्णोद्धार	90 प्रतिशत अधिकतम 27000/–रूपये प्रति हेक्टेयर
			जैविक सब्जी उत्पादन	50 प्रतिशत अधिकतम 10000/–रूपये प्रति हेक्टेयर
24	जहानाबाद	फूल एवं सगंध पौधे	क्षेत्र विस्तार (खुले फूल)	90 प्रतिशत अधिकतम 21600/–रूपये प्रति हेक्टेयर
			क्षेत्र विस्तार (कटे फूल)	90 प्रतिशत अधिकतम 63000/–रूपये प्रति हेक्टेयर
			क्षेत्र विस्तार (कन्द वाले फूल)	90 प्रतिशत अधिकतम 81000/–रूपये प्रति हेक्टेयर
			क्षेत्र विस्तार (सगंधीय पौधे)	90 प्रतिशत अधिकतम 22500/–रूपये प्रति हेक्टेयर
25	अरवल	परवल	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 22500/–रूपये प्रति हेक्टेयर
26	नवादा	पान	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 27000/–रूपये प्रति 200 वर्गमीटर इकाई
27	लक्खीसराय	टमाटर	टमाटर उत्पादन	90 प्रतिशत अधिकतम 27000/–रूपये प्रति हेक्टेयर
			प्रसंस्करण इकाई	90 प्रतिशत अधिकतम 1350000/–रूपये प्रति इकाई
28	शेखपुरा	प्याज	प्याज बीज उत्पादन	90 प्रतिशत अधिकतम 45000/–रूपये प्रति हेक्टेयर
29	सारण	आलू बीज उत्पादन	आलू बीज उत्पादन	90 प्रतिशत अधिकतम 45000/–रूपये प्रति हेक्टेयर
			प्रसंस्करण इकाई	90 प्रतिशत अधिकतम 1350000/–रूपये प्रति इकाई

30	सिवान	सगंध एवं औषधीय पौधे	क्षेत्र विस्तार (खस)	90 प्रतिशत अधिकतम 22500/–रूपये प्रति हेक्टेयर
			क्षेत्र विस्तार (लेमन ग्रास)	
31	गोपालगंज	पपीता	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 63000/–रूपये प्रति हेक्टेयर
32	सीतामढ़ी	आम	जीर्णोद्धार	90 प्रतिशत अधिकतम 27000/– रूपये
33	शिवहर	आम	जीर्णोद्धार	90 प्रतिशत अधिकतम 27000/– रूपये
34	भोजपुर	अमरूद	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 19755/– रूपये
			प्रसंस्करण इकाई	90 प्रतिशत अधिकतम 1350000/–रूपये प्रति इकाई
35	बक्सर	अमरूद	क्षेत्र विस्तार	90 प्रतिशत अधिकतम 19755/– रूपये
			प्रसंस्करण इकाई	90 प्रतिशत अधिकतम 1350000/–रूपये प्रति इकाई

अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के परियोजना निदेशक, आत्मा से संपर्क किया जा सकता है।

V राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पुराने बागों में अंतर्वर्त्ती फसल योजना

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पुराने बागों में अन्तर्वर्त्ती फसल यथा – हल्दी, अदरख, ओल एवं अरबी की खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य के दस जिलों यथा – भागलपुर, सहरसा, शिवहर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन संबंधित जिला के कृषि प्रौद्योगिक प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के द्वारा किया जा रहा है।

बागों में अन्तर्वर्त्ती फसल की खेती हेतु हल्दी के लिए 21,000.00 रूपये, अदरख के लिए 55,000.000 रूपये, ओल के लिए 57,250.00 एवं अरबी के लिए 12,250.00 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से संशोधित देय सहायतानुदान निर्धारित किया गया है।

VI राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन कार्यक्रम

राज्य के सभी 38 जिलों में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन का कार्यक्रम लागू है। इस अन्तर्गत औषधीय पौधों की खेती, आधारभूत संरचना विकास, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन , बाजार व्यवस्था आदि के लिए परियोजना आधारित कार्यक्रम पर सहायतानुदान देय है।

क्र.	कार्यक्रम	आँकलित लागत	स्वीकार्य अनुदान
1	**निजी क्षेत्र में नर्सरी की स्थापना**		
I	मॉडल नर्सरी (4 हे.)	20 लाख	लागत का 50 प्रतिशत् ₹ 10 लाख की अधिकतम सीमा तक
ii	लघु नर्सरी (1 हे.)	4 लाख	लागत का 50 प्रतिशत् ₹ 2 लाख की अधिकतम सीमा तक
2	**औषधीय पौधों की खेती हेतु चयनित पौधे**		
क)	आयुष उद्योग के द्वारा अधिक मांग वाली एवं अधिक संकटापन्न वनस्पति प्रजातियां गुग्गल	1.60 लाख	कृषि लागत व्यय का 75 प्रतिशत्
ख)	पौध प्रजातियां जो कि संकटापन्न एवं जिनके आपूर्ति स्त्रोत घट रहे हैं।		कृषि लागत व्यय का 50 प्रतिशत्
I	बेल	40000/–	
ii	सर्पगंधा	62500/–	
iii	चित्रक	26000/–	
iv	कलिहारी	137500/–	
ग)	आयुष उद्योग की मांग एवं निर्यात के लिए अन्य पौध प्रजातियां।		कृषि लागत व्यय का 20 प्रतिशत्
I	बच/सतावर/पिप्पली	62500/–	
ii	घृत कुमारी	42500/–	
iii	कालमेघ/गुड़मार/अश्वगंधा	25000/–	
iv	ब्राह्मी	40000/–	
v	सफेद मुसली	312500/–	
vi	आर्टिमिशिया	32000/–	
vii	आंवला	65000/–	
viii	तुलसी	30000/–	
ix	स्टीविया	312500/–	
x	पत्थरचूर	43000/–	
xi	तेजपात/दालचीनी	77500/–	
3.	**फसल कटाई उपरांत प्रबंधन**		
1.	शुष्किकरण शेड्स	5 लाख	स्वयं सहायता समूह/सहकारी/ लोक क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत अनुदान एवं **निजी क्षेत्र** के लिए 50 प्रतिशत्
2.	भण्डारण गोदाम सह प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई	5 लाख	स्वयं सहायता समूह/सहकारी/ लोक क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत अनुदान एवं **निजी क्षेत्र** के

			लिए 50 प्रतिशत्
4.	**प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन**		
1.	प्रसंस्करण इकाई	200 लाख	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत् अधिकतम सीमा ₹ 50 लाख
2.	परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	100 लाख	परियोजना लागत का 30 प्रतिशत् अधिकतम सीमा ₹ 30 लाख
3.	विपणन प्रोत्साहन	10 लाख	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत्
4.	बाजार आसूचना	परियोजना आधारित	परियोजना आधारित
5.	वापसी खरीदी हस्तक्षेप	परियोजना आधारित	परियोजना आधारित
6.	विपणन हेतु आधारभूत संरचना की स्थापना	ग्रामीण मण्डी के लिए 10 लाख जिला मण्डी के लिए 200 लाख	परियोजना आधारित, स्व सहायता समूह/सहकारी/लोक क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत् अनुदान
7.	परीक्षण शुल्क/प्रतिपूर्ति	अधिकतम 5,000	परीक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत्
8.	आर्गेनिक/गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस प्रमाणीकरण	50 हे. के लिए 5 लाख	लागत व्यय का 50 प्रतिशत् अधिकतम ₹ 10,000 (दस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर 40:30:30 के अनुपात में तीन वर्षो में देय होगा।
9.	फसल बीमा	50 प्रतिशत् प्रीमियम पर	अधिकतम 5000 रू.

(i) क्लस्टर में औषधीय खेती के लिए ही मात्र सहायता उपलब्ध है।

(ii) एक क्लस्टर में कम से कम 5 किसान होंगे तथा क्लस्टर का साईज न्यूनतम 2 हे० होगा।

(iii) क्लस्टर निर्माण अधिकतम 3 गाँव के किसान मिलकर कर सकते हैं।

(iv) औषधीय खेती के लिए तीन वर्षों में एक बार से ज्यादा सहायतानुदान देय नहीं होगा।

औषधीय पादप मिशन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किसान/किसान सहकारी सोसाइटी, गैर सरकारी संगठन, उत्पादक संघ, स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार के संस्थान व अन्य संगठन द्वारा किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी से सम्पर्क करें।

VII राष्ट्रीय बाँस मिशन

राष्ट्रीय बाँस मिशन शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से वित्तीय वर्ष 2006–07 से शुरू की गई है। बाँस मिशन वन क्षेत्र में वन एवं पर्यावरण विभाग और गैर वन क्षेत्र में कृषि विभाग की सहायता से चलायी जा रही है जहाँ नोडल विभाग कृषि है। वन क्षेत्र में योजना का क्रियान्वयन वन विकास एजेन्सी एवं गैर वन क्षेत्र में जिला बाँस विकास एजेन्सी की सहायता से किया जा रहा है। गैर वन क्षेत्र में बाँस मिशन, राज्य के 10 (दस) जिलों यथा मुंगेर, बाँका, जमुई, नालन्दा, मुजफ्फरपुर, प० चम्पारण, दरभंगा, सहरसा, सुपौल एवं कटिहार में चलायी जा रही है और योजना का कार्यान्वयन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला बाँस विकास एजेन्सी द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाँस क्षेत्र में क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता, हस्तशिल्प, विपणन को बढ़ावा देकर वनों पर निर्भरता को कम करना है एवं कुशल तथा अकुशल बेरोजगार युवाओं के अवसर सृजित करना है।

राष्ट्रीय बाँस मिशन अन्तर्गत प्राप्त सहायतानुदान विवरणी

क्र०	कार्यक्रम	अनुमानित लागत	सहायतानुदान
A.	**अनुसंधान एवं विकास**		
1.	**अनुसंधान**		
I.	फसल उपरांत प्रबंधन एवं टिकाऊ बाँस की खेती	परियोजना आधारित	सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संस्थानों में विकास के लिए 100 प्रतिशत।
ii.	नये बाँस कृषि वानिकी तकनीक का विकास	परियोजना आधारित	सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संस्थानों में विकास के लिए 100 प्रतिशत।
iii.	बाँस एवं जीवकोपार्जन	परियोजना आधारित	सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संस्थानों में विकास के लिए 100 प्रतिशत।
B.	**बाँस रोपण का विकास**		
1.	**बाँस रोपण सामग्री (वन क्षेत्र)**		
क)	**केन्द्रीयकृत नर्सरी**		
i)	सार्वजनिक क्षेत्र (0.25हे०)	2.73 लाख	लागत का 100 प्रतिशत, अधिकतम ₹2.73 लाख/नर्सरी।
ii)	निजी क्षेत्र (0.25हे०)	2.73 लाख	लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹68,000 प्रति नर्सरी क्रेडिट लिंक बैक एन्डेड अनुदान।
ख)	**निजी क्षेत्र की नर्सरी**		
i)	किसान नर्सरी (0.10हे०)	26,000/इकाई	लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹6,500 प्रति नर्सरी।
ii)	महिला नर्सरी (0.10हे०)	26,000/इकाई	लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹6,500 प्रति नर्सरी।

2.	**बाँस रोपण सामग्री (गैर वन क्षेत्र)**		
क)	**केन्द्रीयकृत नर्सरी**		
i)	सार्वजनिक क्षेत्र (0.25हे०)	2.73 लाख	लागत का 100 प्रतिशत, अधिकतम ₹2.73 लाख/नर्सरी।
ii)	निजी क्षेत्र (0.25हे०)	2.73 लाख	लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹68,000 प्रति नर्सरी क्रेडिट लिंक बैक एन्डेड अनुदान।
ख)	**निजी क्षेत्र की नर्सरी**		
i)	किसान नर्सरी (0.10हे०)	26,000/इकाई	लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹6,500 प्रति नर्सरी।
ii)	महिला नर्सरी (0.10हे०)	26,000/इकाई	लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹6,500 प्रति नर्सरी।
3.	बाँस रोपण सामग्री प्रमाणीकरण के लिए राशि	परियोजना आधारित	सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए 100 प्रतिशत सहायता।
4.	क) टिशु कल्चर इकाई (सार्वजनिक क्षेत्र)	21 लाख/इकाई	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के लिए 100 प्रतिशत (अधिकतम 21 लाख)।
ख)	टिशु कल्चर इकाई (निजी क्षेत्र)	21 लाख/इकाई	लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹10.50 लाख, क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड अनुदान।
5.	**बाँस का क्षेत्र विस्तार**		
क)	वन क्षेत्र	25,000/हेक्टेयर	100 प्रतिशत दो बराबर किस्तों में (50:50)।
ख)	गैर वन क्षेत्र	16,000/हेक्टेयर	लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹8,000 प्रति हेक्टेयर तथा 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक सीमित।
6.	उपलब्ध स्टॉक का विकास	8,000/हे०	100 प्रतिशत, गैर वन क्षेत्र में, 2 हे० प्रति लाभार्थी तक सीमित।
7.	**तकनीकी हस्तांतरण एवं मानव संसाधन विकास**		
क)	किसानों एवं उद्यमियों का प्रशिक्षण	परियोजना आधारित	राज्य के अंदर ₹1,520 प्रति प्रतिभागी (सात दिवसीय) राज्य के बाहर ₹2,500 प्रति प्रतिभागी (सात दिवसीय)।
ख)	क्षेत्र कर्मियों का प्रशिक्षण	परियोजना आधारित	₹8,000 प्रति प्रतिभागी (सात दिवसीय)।
ग)	पौध रोपण तकनीक का प्रत्यक्षण	परियोजना आधारित	50 प्रतिशत, अधिकतम ₹10,000 प्रति हे० तथा 0.5 हे० प्रति लाभार्थी तक सीमित।
घ)	**कार्यशाला/सेमिनार/प्रशिक्षण**		
i)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	परियोजना आधारित	100 प्रतिशत सहायता, अधिकतम ₹40 लाख।
ii)	राष्ट्रीय स्तर	परियोजना आधारित	100 प्रतिशत सहायता, अधिकतम ₹5 लाख प्रति कार्यक्रम (दो दिवसीय)।
iii)	राज्य स्तर	परियोजना आधारित	100 प्रतिशत सहायता, अधिकतम ₹3 लाख प्रति कार्यक्रम (दो दिवसीय)।
iv)	जिला स्तर	परियोजना आधारित	100 प्रतिशत सहायता, अधिकतम ₹1 लाख प्रति कार्यक्रम (दो दिवसीय)।

8.	पौध रोपण स्तर में कीट एवं व्याधि प्रबंधन	₹400 / हे०	50 प्रतिशत सहायता, अधिकतम ₹200 प्रति लाभार्थी तथा गैर वन क्षेत्रों में 2हे० तक सीमित। **क्र० सं०**
9.	नयी अवधारणा	परियोजना आधारित	100 प्रतिशत सहायता।
10.	फसल कटाई संग्रहण एवं उपचार की सुविधा	परियोजना आधारित	100 प्रतिशत सहायता, अधिकतम ₹20 लाख।
11.	सूक्ष्म सिंचाई (गैर वन क्षेत्र)	₹40,000 / हे०	50 प्रतिशत सहायता, अधिकतम ₹20,000 प्रति हे० तथा चार हे० प्रति लाभार्थी तक सीमित।
C.	**हस्तशिल्प, बाजार व्यवस्था एवं निर्यात**		
1.	**बाँस का थोक एवं खुदरा बाजार**		
क)	गाँव के नजदीक बाँस का थोक एवं खुदरा बाजार	₹16 लाख / इकाई	25 प्रतिशत, अधिकतम ₹4 लाख।
ख)	बाँस का बाजार	₹27 लाख / इकाई	25 प्रतिशत, अधिकतम ₹4 लाख।
ग)	खुदरा दुकान (प्रदर्शनी हाउस)	₹40 लाख / इकाई	25 प्रतिशत, अधिकतम ₹10 लाख।
घ)	नयी अवधारणा	परियोजना आधारित	100 प्रतिशत।
2.	घरेलू व्यापार मेले में भागीदारी	परियोजना आधारित	75 प्रतिशत, ₹5 लाख प्रति कार्यक्रम की दर से ₹3.75 लाख अधिकतम (दो दिवसीय)।
3.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी	परियोजना आधारित	75 प्रतिशत, ₹10 लाख प्रति कार्यक्रम की दर से ₹7.5 लाख अधिकतम (पाँच दिवसीय)।
4.	बाजार सर्वे इत्यादि	परियोजना आधारित	लागत व्यय का 100 प्रतिशत।
D.	**निगरानी तंत्र का क्रियान्वयन**		
1.	राष्ट्रीय बाँस सेल		
क)	मूल्यांकन एवं निगरानी	परियोजना आधारित	लागत व्यय का 100 प्रतिशत।
ख)	बाँस तकनीकी सहायता समूह	परियोजना आधारित	लागत व्यय का 100 प्रतिशत, निर्दिष्ट समय में निर्दिष्ट कार्य के लिए तकनीकी सहायता।
ग)	रंगीन ब्रोशर एवं लीफलेट	परियोजना आधारित	लागत व्यय का 100 प्रतिशत।
घ)	इलेक्ट्रोनिक / ऑडियो विजुअल माध्यम / समाचार पत्र द्वारा प्रचार अभियान	परियोजना आधारित	लागत व्यय का 100 प्रतिशत।
ड़)	डाटाबेस की तैयारी एवं प्रबंधन (सूचना, वेब आधारित डाटाबेस)	परियोजना आधारित	लागत व्यय का 100 प्रतिशत। (केन्द्रीय राज्य स्तरीय संस्थान / आई०सी०ए०आर० इत्यादि)
2.	राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियां, परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी एवं परामर्श	परियोजना आधारित	परियोजना व्यय का 1.5 प्रतिशत् तक।

VIII राष्ट्रीय बागवानी मिशन/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन/विशेष फसल कार्यक्रम/राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन/राष्ट्रीय बाँस मिशन अंतर्गत केन्द्रीय योजना में स्वीकृत अनुदान दर एवं राज्य योजना मद से अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् कृषकों को देय सहायतानुदान

क्र०	अवयव	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुदान
1	आँवला का क्षेत्र विस्तार	हेक्टेयर	₹23,340.00	90% अधिकतम ₹21,005.00
2	अनानास का क्षेत्र विस्तार	हेक्टेयर	₹65,000.00	90% अधिकतम ₹58,500.00
3	केला टिश्यू कल्चर का क्षेत्र विस्तार	हेक्टेयर	₹83,204.00	90% अधिकतम ₹74,883.00
4	बेल/बेर/शरीफा/जामुन/कटहल का क्षेत्र विस्तार	हेक्टेयर	₹18,950.00	90% अधिकतम ₹17,055.00
5	पपीता का क्षेत्र विस्तार	हेक्टेयर	₹54,782.00	90% अधिकतम ₹49,303.00
6	पान का क्षेत्र विस्तार	200वर्ग मी.	₹30,000.00	90% अधिकतम ₹27,000.00
7	मखाना का क्षेत्र विस्तार	हेक्टेयर	₹26,800.00	90% अधिकतम ₹24,120.00
8	समेकित मशरूम इकाई की स्थापना	संख्या	₹50.00 लाख	90% अधिकतम ₹45.00 लाख
9	मशरूम स्पॉन उत्पादन इकाई की स्थापना	संख्या	₹15.00 लाख	90% अधिकतम ₹13.50 लाख
10	मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना	संख्या	₹20.00 लाख	90% अधिकतम ₹18.00 लाख
11	कंदीय फूल की खेती	हेक्टेयर	₹90,000.00	90% अधिकतम ₹81,000.00
12	खुले फूल की खेती	हेक्टेयर	₹24,000.00	90% अधिकतम ₹21,600.00
13	मशाला की खेती	हेक्टेयर	₹25,000.00	90% अधिकतम ₹22,500.00
14	सुगंधित पौधों का क्षेत्र विस्तार	हेक्टेयर	₹25,000.00	90% अधिकतम ₹22,500.00
15	पुराने बागों का जीर्णोद्धार	हेक्टेयर	₹30,000.00	90% अधिकतम ₹27,000.00
16	जल संचयन प्रणाली की स्थापना	20x20x20 m^3	₹1.20.00 लाख	90% अधिकतम ₹1,08,000.00
17	ग्रीन हाउस फैन एवं पैड प्रणाली की स्थापना	वर्ग मी.	₹1,465.00/वर्ग मी.	90% अधिकतम ₹1,319.00
18	ग्रीन हाउस ट्युबुलर संरचना की स्थापना	500 वर्ग मी.	₹935.00/वर्ग मी.	90% अधिकतम ₹4.19 लाख
19	मधु–मक्खी कॉलोनी एवं छत्ताधानी	4 फ्रेम	₹3,000.00	90% अधिकतम ₹2,700.00
20	शहद निकालने वाले फ्रेम सहित फुड ग्रेड कन्टेनर, जाली आदि उपकरण	सेट	₹14,000.00	90% अधिकतम ₹12,600.00
21	पैक हाउस/फार्म संग्रहण –सह– भंडारण इकाई की स्थापना	संख्या	₹3.00 लाख	90% अधिकतम ₹2.70 लाख

22	आसवन इकाई की स्थापना	संख्या	₹5.00 लाख	90% अधिकतम ₹4.50 लाख
23	प्राथमिक / भ्रमणशील प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	संख्या	₹24.00 लाख	90% अधिकतम ₹21.6 लाख
24	न्यूनतम लागत पर प्याज भंडारण इकाई की स्थापना	संख्या	₹1.00 लाख	90% अधिकतम ₹90,000.00
25	ग्रामीण बाजार / अपना बाजार / प्रत्यक्ष बाजार	संख्या	₹20.00 लाख	90% अधिकतम ₹18.00 लाख
26	संग्रहण के लिए कार्यात्मक बुनियादी ढांचे / छँटाई / ग्रेडिंग / पैकिंग	संख्या	₹15.00 लाख	90% अधिकतम ₹13.50 लाख
27	प्लास्टिक क्रेट्स	संख्या	₹1000.00	90% अधिकतम ₹900.00
28	लैनो बैग / केले फल के लिए जाली बैग	संख्या	₹10.00	90% अधिकतम ₹9.00
औषधीय पौधें				
29	बच	हेक्टेयर	₹62,500.00	90% अधिकतम ₹56,250.00
30	एलोवेरा	हेक्टेयर	₹42,500.00	90% अधिकतम ₹38,250.00
31	कालमेघ	हेक्टेयर	₹25,000.00	90% अधिकतम ₹22,500.00
32	सतावर	हेक्टेयर	₹62,500.00	90% अधिकतम ₹56,250.00
33	तुलसी	हेक्टेयर	₹30,000.00	90% अधिकतम ₹27,000.00
34	खस	हेक्टेयर	₹24,000.00	90% अधिकतम ₹21,600.00
35	स्टीविया	हेक्टेयर	₹3,12,500.00	90% अधिकतम ₹2,81,250.00
36	गुडुची	हेक्टेयर	₹27,500.00	90% अधिकतम ₹24,750.00
37	पचौली	हेक्टेयर	₹65,000.00	90% अधिकतम ₹58,500.00
38	सर्पगंधा	हेक्टेयर	₹62,500.00	90% अधिकतम ₹56,250.00
39	गुग्गुल	हेक्टेयर	₹1,60,000.00	90% अधिकतम ₹1,44,000.00
40	भंडारण गोदाम सह प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	संख्या	₹5.00 लाख	90% अधिकतम ₹4.50 लाख
41	प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	संख्या	₹200.00 लाख	65% अधिकतम ₹130.00 लाख
बाँस				
42	गैर वन क्षेत्र में बाँस रोपण	हेक्टेयर	₹16,000.00	90% अधिकतम ₹14,400.00
43	बाँस के थोक एवं खुदरा बाजार	संख्या	₹16.00 लाख	90% अधिकतम ₹14.40 लाख

IX राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन

सिंचाई जल के समुचित उपयोग करने हेतु सूक्ष्म सिंचाई योजना की शुरूआत वर्ष 2006–07 में की गयी थी। सूक्ष्म सिंचाई योजना के घटक ड्रिप और स्प्रिंकलर थे। भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना को वृहद स्वरूप प्रदान करते हुए व्यापक रूप में कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन का गठन किया गया है। राज्य अन्तर्गत यह मिशन दिनांक 01 अप्रैल 2011 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मिशन के घटक निम्न प्रकार हैः–

1. **ड्रिप सिंचाई पद्धति** :–
   - i. ड्रिप सिंचाई पद्धति
   - ii. माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति
   - iii. मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति
2. **स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति** :–
   - i. पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति
   - ii. सेमी परमानेंट स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति
   - iii. लार्ज वाल्यूम स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति (रेन गन्स)

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई मूल्य के अनुसार निम्न प्रकार अनुदान देय हैः–

किसान की श्रेणी	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	किसान का हिस्सा
लघु एवं सीमान्त	50%	40%	90%	10%
अन्य किसान	40%	40%	80%	20%

अनुसूची – 1

राष्ट्रीय बागवानी मिशन
(बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी)

अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

1. जिला का नाम : ....

   (क) किसान / समूह / संगठन का नाम : ....

2. पिता का नाम (संस्था के लिए निबंधन सं.) : ....

3. किसान का प्रकार :

   (क) लघु / सिमांत / अन्य   (ख) अनुसूचित जाति / जनजाति   (ग) पुरूष / महिला

4. पूर्ण खाता :

   (क) ग्राम ....   (ख) पोस्ट ....   (ग) पंचायत ....

   (घ) प्रखंड ....   (ङ) जिला ....

5. प्रस्तावित कार्यक्रम का नाम : ....

6. प्रस्तावित / किए गए व्यय की राशि (व्यय का विवरण एक अलग पन्ने पर संलग्न करें) ....

   ....

7. मांगी गयी अनुदान की राशि : ....

   (क) जमीन का पूर्ण विवरण

   (क) खाता संख्या : ....   (ख) खेसरा संख्या : ....

   (ग) रकवा (हे. में) ....   (घ) सिंचित / असिंचित : ....

   (ख) प्रस्तावित जमीन में पूर्व उगायी जाने वाली फसलों का ब्योरा : ....

   (ग) शेष राशि की व्यवस्था कहाँ से की गयी है : ....

8. क्या बैंक ऋण लिया गया है (उसका विवरण)

   (क) बैंक का नाम : ....

   (ख) स्वीकृत राशि : ....   (ग) प्राप्त भुगतान ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनाएँ सही हैं तथा आवेदन–पत्र में उल्लिखित कार्यक्रम के लिए अनुदान का उपयोग मैं इसी कार्यक्रम में करूँगा।

राज्य सहायता केन्द्र :   0612 – 6451 679

जिला सहायता केन्द्र :

क्षेत्र सलाहकार :

प्रखंड स्तरीय कृषि स्नातक / प्रगतिशील

कृषक का नाम एवं दूरभाष सं. :

आवेदन क्रमांक :   की प्राप्ति रसीद

श्री / श्रीमति : ....

पिता / पति : ...., ग्राम : ....

प्रखंड : ...., जिला : .... से प्राप्त किया।

2.   क्षेत्र सत्यापन हेतु दिनांक ..../......../201   से ..../......../201   की तिथि निर्धारित की गयी है।

3.   किसी भी प्रकार की सहायता / जानकारी के लिए अपने परिचय के साथ आवेदन क्रमांक का उल्लेख करते हुए बिहार राज्य बागवानी मिशन, उद्यान निदेशालय, बैरक संख्या–13, मुख्य सचिवालय परिसर, पटना से संपर्क किया जा सकता है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

कृषि विभाग
बिहार सरकार

जनहित में प्रकाशितः

राज्य बागवानी मिशन

बैरक नम्बर–13, मुख्य सचिवालय, पटना–800 015 (बिहार)
फोन : 0612 – 2215 215, ईमेल : dir-bhds-bih@nic.in
वेबसाईट : www.horticulture.bih.nic.in

Conceptualized, Designed & Printed by:
Punam # 0 98350 59350